फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रामचन्द्र बनाम **जशोदा वगैरह**

किस्म मुकदमा .....225 .आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या.36.सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.06.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 बउनवान जशोदा वगैरा बनाम रामचन्द्र वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 04.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत आदेश 39 नियम 03 सी. पी.सी की पालना करने हेतु रेस्पोडेन्टगण को पाबंद किया गया था, किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आदेश	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट का नाम वक्त सेटलमेंट से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। एवं वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट एक वृद्ध व्यक्ति है। वादग्रस्त आराजी से अपीलांट अपने जीवन का भरण–पोषण करता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम व्यादेश के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टगण को आदेश 39 नियम 03 सी. पी.सी की पालना किये जाने बाबत आदेशित किया गया था। किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध पेश की गई है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल हक–हकूको का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद मे तय होगा। किन्तु अगर अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पाता है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 बउनवान जशोदा वगैरा बनाम रामचन्द्र वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 04.05.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होगा। ऐसी परिस्थितियो मे उक्त प्रकरण को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार उपखंड अधिकारी जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 57/2023 बउनवान जशोदा वगैरा बनाम रामचन्द्र वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 02 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली